भारत दस भारत दस भारत दस भारत दस रुपये INDIA TEN RUPEES

(50)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर [illegible]

{राजस्व मण्डल खण्डपीठ भोपाल {म०प्र०}

3R/ नि/ रायसेन/ भू.रा/2017/2484 पुनरीक्षण आवेदन क्रमांक ----/2017

श्री एन.के.राय (अधि) द्वारा 25-7-17 को कोर्ट मे प्रस्तुत किया। 25-7-17

नफीस खाँ पुत्र श्री अहमद खाँ उम्र 50 वर्ष, E. Ahmed
निवासी/कृषक ग्राम मुरैलखुर्द तहसील व जिला
रायसेन {म०प्र०} - - - - - - - - पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

सरदारसिंह भाट पुत्र श्री भीका भाट उम्र 55 वर्ष
निवासी/कृषक ग्राम मुरैलखुर्द तहसील व जिला रायसेन
हाल - निवासी ताजपुर महल अवंतिका कालोनी रायसेन
{म०प्र०} - - - - - - - - - उत्तरदाता

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता 1959

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है :-

उत्तरदाता सरदारसिंह द्वारा एक आवेदन संबंधित राजस्व निरीक्षक वृत्त सांचेत तहसील व जिला रायसेन को अपनी स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 65/3 रकबा 1.517 हेक्टर पटवारी हल्का नं. 54 स्थित भूमि ग्राम मुरैलखुर्द तहसील व जिला रायसेन का सीमांकन कराने हेतु आवेदन दिया जो कि प्र०प्र० 30/अ-12 /2016-17 पंजीबद्ध होकर दिनांक 18-5-17 को सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल सांचेत तहसील व जिला रायसेन द्वारा आदेश पारित किया गया उक्त आदेश के पालन मे दिनांक 28-5-17 को सीमांकन व सीमांकन संबंधी अन्य दस्तावेज तैयार कर सीमांकन कराया गया जिससे परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय मे निम्न तथ्यो एवं आधारो पर आधारित होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है :-

पुनरीक्षण के तथ्य

उत्तरदाता सरदारसिंह द्वारा एक आवेदन संबंधित राजस्व निरीक्षक मण्डल सांचेत तहसील व जिला रायसेन को अपनी स्वयं की भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू-रा./2017/2484 **जिला - रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, सॉचेत तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, सॉचेत तहसील व जिला रायसेन न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, रायसेन को भेजा जाता है। कलेक्टर, रायसेन प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की. धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	